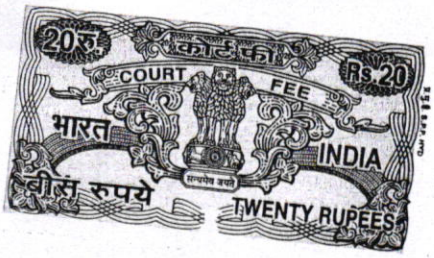

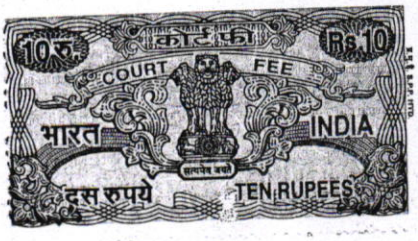

न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

श्री उमेश-पीठ-सेन द्वारा आज दि. 25-5-18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 31-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 25-5-18
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी-3193/2018/रीवा/भू.रा.

1– प्रमिला गौतम पत्नी कृष्ण कुमार गौतम

2– श्रीमती उमलेश तिवारी पत्नी महेन्द्र तिवारी

दोनों निवासी ढेकहा तह. हुजूर, जिला– रीवा म.प्र.

––– **निगरानीकर्तागण**

बनाम

1– पटवारी हल्का ढेकहा रीवा म.प्र.

2– शासन म.प्र.

3– सूर्यदीन पासी तनय भूरा पासी, निवासी ढेकहा, तह. हुजूर, जिला– रीवा म.प्र. ––**गैरनिगरानीकर्तागण**

निगरानी विरुद्ध आदेश न्याया. श्रीमान अपर आयुक्त संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1009/अपील /17–18 आदेश दिनांक 27.03.2018

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:–

–––––

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन अध्यादेश विधि व

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3193/।।/2018 निगरानी जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/7/18	निगरानीकर्तागण की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एस. सेंगर द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1009/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 27–3–2018 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारॉश यह हैं कि, अनावेदक कमांक–3 सूर्यदीन पासी व उसके वारिसानों द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 178 व 185 का विधिवत सीमांकन व डायवर्सन कराकर प्लाटिंग कर रोड दर्शाकर खसरा कमांक 178/1 शामिल खसरा नंबर 185/1 का अंश रकबा 37×35= 1295 वर्गफुट व 20×33= 660 वर्गफुट को विकय पत्र के माध्यम से निगरानीकार्ता को विकय कर मुताविक विकय पत्र चौहद्दी कब्जा प्रदान किया गया जिसका विधिवत नामान्तरण निगरानीकर्ता द्वारा नगर निगम रीवा से मंजूरी प्राप्त कर कराया गया था। जिसका सीमांकन कराये बिना अनावेदक द्वारा निगरानीकर्ता के मकान व दुकान को आराजी नंबर 258 में बना होना माना जाकर निगरानीकर्ता के विरूद्ध प्रकरण कमांक 1/अ 68/2016–17 दर्ज कर म.प्र.भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–248 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर दिनांक 9–8–2017 को आदेश पारित किया गया। जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रकरण कमांक 324/अ–68/2016–17 में आदेश दिनांक 5–2–2018 द्वारा यथावत रखा गया। जिससे दुखित होकर निगरानीकर्ता द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 1009/अपील/2017–18 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 27–3–2018 पारित कर ग्राहयता के बिन्दु पर खारिज की गई। जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– उभयपक्ष अधिवक्ताओ के तर्क सुने। निगरानी मेमो के तथ्यों एंव	

एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ढेकहा–26 तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया है कि सूर्यदीन पासी तनय भूरा पासी के द्वारा शासकीय भूमि का गलत विवरण देकर करोडों रूपये के शसकीय संपदा बिकी कर देने के संबंध में तहसीलदार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें 8 वयक्तियों के नाम अंकित किये गये है। जिसमें आवेदकगण प्रमिला गौतम खसरा नम्बर 258 रकवा 0.012 है0 एवं श्रीमती उमलेश तिवारी खसरा नम्बर 258 रकवा 0.006 है0 पर कब्जा पाया गया है जिसमें मकान निर्मित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 248 प्रावधान के अनुसार उन्हें बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है जिसे अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा भी स्थिर रखने में को त्रुटि नहीं की गई है। अतः उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1009/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 27.3.18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य